UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

"REPORT OF 15 DAYS AWARENESS CAMPAIGN ON THE ISSUES OF CYBER CRIMES, ONLINE FRAUD AND SOCIAL MEDIA SCAMS"

ORGANIZED IN THE STATE OF UTTARAKHAND

FROM 15th FEBRUARY, 2024 TO 29TH FEBRUARY, 2024

It is kindly submitted that as we know that today is the era of technology wherein computers, mobiles and other electronic gadgets are crucial resources for any kind of business as well as for money transactions, etc.

It is also kindly submitted that now-a-days, the Cyber Crimes, Online Fraud and Social Media Scams incidents are reported frequently and the same are being increased day-by-day.

It is reported that these Crimes have been attempted very cleverly and technically by using very high techniques and high-end applications and software.

Owing to this, the common masses are unable to understand the fraud done by the hackers and consequently, they are simply trapped and lose their hard earning money.

Further, it is kindly submitted that Cyber Crimes, Online Fraud and Social Media Scams often commit crimes by targeting computer, networks, mobiles, electronic gadgets and devices. Sometimes, these crimes also include things like; revenge porn, cyber-stalking, harassment, bullying and child sexual exploitation. Even, sometimes these instances and crimes lead to suicide committed by the victims.

It is kindly submitted that Cyber Crimes, Online Fraud and Social Media Scams continue to evolve, with new threats surfacing every year. It is very important to know how to recognize these crimes, which can be the first step to protect the public and their important personal datas.

Furthermore, it is kindly submitted that there are urgent and utmost need to make the public aware about Cyber Crimes, Online Fraud and Social Media Scams.

Therefore, Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority was of the view that appropriate awareness campaign would be required to make aware the masses in the State of Uttarakhand about Cyber Crimes, Online Fraud and Social Media Scams.

In this context, it is kindly submitted that having considered the aforesaid proposal, Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority was pleased to approve to conduct **"15 Days**

Awareness Campaign on the issues of Cyber Crimes, Online Fraud and Social Media Scams" in the State of Uttarakhand from 15th February, 2024 to 29th February, 2024.

In order to make the aforesaid campaign a success, following necessary directions were issued to all the District Legal Services Authorities:-

(i) Awareness Programmes and Camps shall be organized in Schools and Colleges of the District for the students and youth generation.

(ii) Awareness Programmes and Camps shall be organized for the senior citizens, women and common masses.

(iii) Awareness Programmes and Camps shall be organized at the prominent places of the Urban and Rural areas of the District.

(iv) Awareness Rally of School's Children shall be organized.

(v) Radio Talk Show, Television Interviews and Nukkad Natak shall be organized.

(vi) Awareness Poster/Debate/Essay Competition shall be conducted in Schools and top three winners of each category shall be felicitated by the DLSA.

(vii) Awareness Informative material like; Pamphlets, etc. shall also be got printed for distribution to the public during the campaign.

(viii) Wider and adequate publicity of this campaign shall be ensured through Local T.V. Channel, Print & Electronic Media and Digital Platform.

(ix) Regular uploading and updation of the news with photographs shall be made on the Facebook Page of DLSA to spread out the awareness.

(x) All the DLSAs shall ensure the valuable coordination and active participation of the following stakeholders to make this Drive a grand success:-

- District Administration;
- Police Administration;
- Education Department;
- Cyber Police Cell;
- IT/Cyber Experts;
- Experts from Banking Services; and
- NGOs including concerning stakeholders.

In order to make the aforesaid awareness campaign a grand success and in order to ensure the compliance of the directions issued by the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, the aforesaid Awareness Campaign was successfully organized by the District Legal Services Authorities in their districts in association with all the concerning stakeholders.

On the basis of the statistical information furnished by the District Legal Services Authorities relating to the said campaign, a consolidated report has been prepared and the same is hereunder:-

Name of the District	No. of awareness programmes /camps organized in schools & Colleges	No. of Students attended these programmes /camps	No. of awareness programmes/ Camps organized for Senior Citizens, Women and Common Masses.	No. of Senior Citizens, Women and Common Masses attended these programmes/ camps	No. awareness programmes/camps organized at the prominent places of the Urban and Rural Areas of the District	No. of persons attended these programmes/ camps
Almora	28	5,499	03	101	38	1,921
Bageshwar	21	1,445	01	55	77	1,473
Chamoli	177	9,033	252	5227	251	6,600
Champawat	20	1,988	04	115	32	908
Dehradun	53	6,565	89	3560	28	1,260
Haridwar	19	1,313	02	2,681	23	2,681
Nainital	58	7,012	194	19,013	252	26,025
Pauri Garhwal	17	1,799	13	442	30	2241
Pithoragarh	03	150 (Approx.)	05	200 (Approx.)	04	170 (Approx.)
Rudraprayag	14	6,320	03	85	12	322
Tehri Garhwal	14	1,015	77	1,624	77	1,624
U.S. Nagar	104	8,622	92	2,535	100	4,317
Uttarkashi	05	500	04	270	05	315
TOTAL	533	51,261 (Approx.)	739	35,908 (Approx.)	929	49,857 (Approx.)

Name of the District	No. of Rallies organized	No. of Radio Show & Television Interviews organized	No. of Nukkad Natak organized	No. of Essay/Poster/ Debate competition organized	How many programmes/ camps personally attended by the Secretary, DLSA	Total No. of persons benefitted by this Campaign.
Almora	03	02	03	07	03	11,067
Bageshwar	01	-	01	04	03	2,973
Chamoli	69	16	46	135	11	5850
Champawat	-	-	-	-	04	3,011
Dehradun	03	-	04	10	10	11,385
Haridwar	02	-	01	03	04	1,939
Nainital	16	01	-	14	10	26,025
Pauri Garhwal	01	01	01	01	10	1,178
Pithoragarh	-	-	-	25	01	10,000 (Approx.)
Rudraprayag	-	-	-	-	04	435
Tehri Garhwal	04	-	-	04	05	2,639
U.S. Nagar	39	01	24	27	19	7,788
Uttarkashi	02	-	-	03	10	4,585
TOTAL	140	21	80	233	94	88,875 (Approx.)

It is kindly submitted that as per the District-wise reports mentioned in the above table, it is found that during the aforesaid Awareness Campaign, **total 2,201 awareness programmes including camps were organized** *(533 in Schools & Colleges, 739 for Senior Citizens, Women and Common Masses and 929 in Urban and Rural Areas)* **and around 1,37,026 persons attended these awareness programmes/camps** *(51,261 in Schools & Colleges, 35,908 Senior Citizens, Women and Common Masses and 49,857 in Urban and Rural Areas)*. Also, 94 programmes including camps were personally attended by the Secretaries of DLSAs.

Furthermore, it is kindly submitted that total 140 Awareness Rallies, 21 Radio show including Television Interviews, 80 Nukkad Nataks, 233 Essay/Poster/Debate Competitions were organized. Around 88,875 persons were benefitted by this awareness campaign.

During the aforesaid Awareness Campaign, Door-to-Door Campaign was also organized. During the course of awareness campaign, public including students, youth generation, senior citizens and women were made aware and sensitized about safe digital and banking payments different websites and mobiles Apps, fraud through AI Crimes, awareness of toll free number of 1930, computer and mobile virus application, fraud bank calls, secrecy of OTP and ATM Pin number, Fraud KYC calls, scanning of fraud QR Codes, security and frequently changing of passwords generated for the social media platforms, maintain the security of the confidential numbers of credit cards and debit cards, avoiding chat on unknown numbers and e-mail, avoiding participation in online lotteries and games.

Apart from this, public including students, youth generation, senior citizens and women were made aware about the proper and careful use of the social sites like; Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, YouTube, etc. Further, it was enlightened the public that before posting any information or news on the social sites, the same must be read carefully and it must be ensured that it may not hurt to anyone. It was also informed to the public that the information about Google Account's ID and Password should not be shared to anyone and unknown internet and other links should not be opened and downloaded in mobile and computer.

It is kindly submitted that during the aforesaid 15 days of Campaign, valuable coordination and active participation were provided by the District Administration, Police Administration, School and College Administration, Cyber Police Cell, IT/Cyber Experts, Experts from banking services and all other concerned stakeholders.

In order to make this campaign a grand success, all the District Legal Services Authorities made wider publicity of the aforesaid 15 days of campaign through Local T.V., Channel, Print & Electronic Media and Digital Platform. Information and news were also being uploaded on the Facebook Page of the DLSAs.

* * * * *

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा
पैरा लीगल वालिन्टियर
क्षेत्र/स्थान-
दिनांक-

airtel 4G
टोल फ्री नं 1800-180-4000
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-चमोली
साक्षरता/जागरूकता शिविर
में आपका हार्दिक स्वागत है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा
विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर
में आपका हार्दिक स्वागत है।

14 March 2024 11:33 am

POCO X5 PRO 5G

महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम
जीवन कंयर फाउंडेशन

कक्षा-7

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-पौड़ी गढ़वाल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल
"विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर"

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल
के तत्वावधान में
विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल के निर्देशानुसार
आयोजित विधिक जागरूकता शिविर।

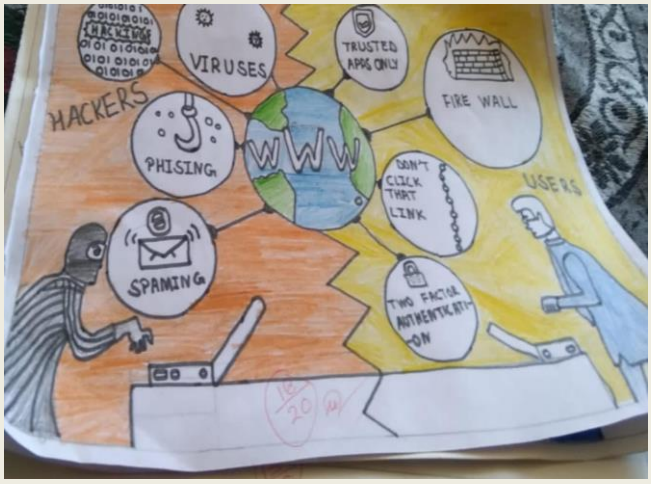

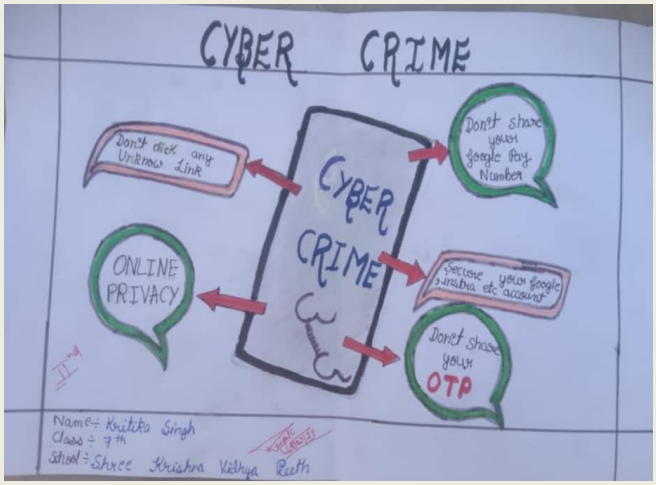

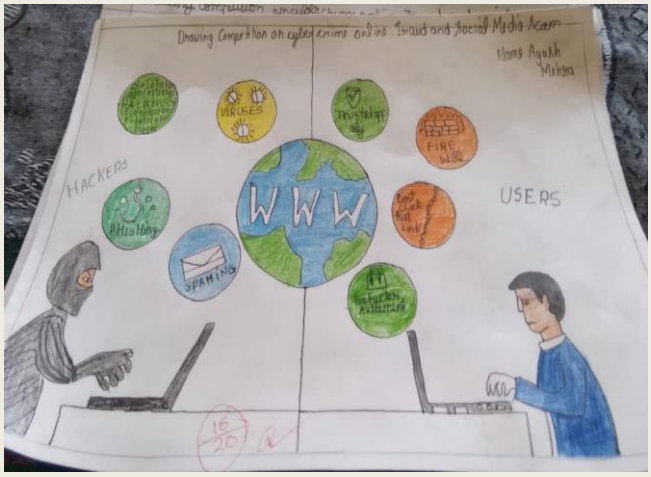

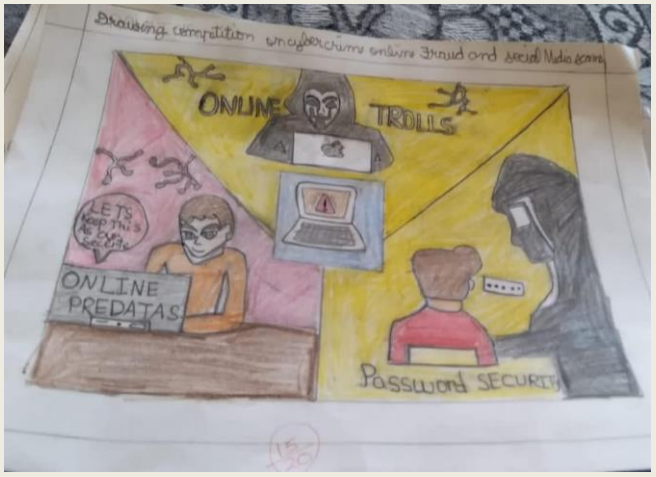

साइबर अपराधियों के चुंगल में फंसने से बचने को सभी हों जागरूक -आलोक राम त्रिपाठी

वाचस्पति रावत
दैनिक सरल एक्सप्रेस ब्युरो
नरेंद्रनगर। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जो कंप्यूटर और नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। इस अपराध के मास्टरमाइंड और ठगी में पारंगत शातिर लोगों का काम गैर कानूनी तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाना होता है। ये अपनी चॉक एदुता से किसी की निजी जानकारी प्राप्त कर, गलत तरीके से उसमें फेर बदल करते हुए, ऑनलाइन बैंक खातों से धनराशि चुरा लेते हैं। यह महत्वपूर्ण बात सीनियर सिविल जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री आलोक राम त्रिपाठी ने वर्तमान में बढ़ रहे साइबर अपराध, सोशल मीडिया फ्रॉड एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार होती जा रही युवा पीढ़ी सहित अन्य लोगों को जागरूक करने के मकसद से राजकीय पॉलिटेक्निक नरेंद्रनगर में आयोजित एक दिवसीय शिविर में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कही। बताते चलें कि माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण –नैनीताल के निर्देशानुसार, जिला अधिकारी विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी के द्वारा साइबर अपराध एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी के संबंध में दिनांक 15 फरवरी से आगामी 29 फरवरी 24 तक निरंतर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शिविर में पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित अन्य लोगों ने भी बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया।

इस मौके पर सीनियर सिविल जज व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक राम त्रिपाठी ने साइबर अपराध के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति कभी भी, किसी अनजान व्यक्ति से अपना बैंक खाता संख्या, एटीएम नंबर,ओटीपी आदि साझा न करें। कॉल करने

वाले अनजान व्यक्ति को लेन–देन व खाता संबंधी कोई भी बात साझा ना करे, अविश्वसनीय लिंक को कतई भी खोलने का प्रयास न करें, इतना ही नहीं अनजान व्यक्ति को अपना मोबाइल फोन,आधार नंबर व फिंगरप्रिंट कदापि ना दें।

उन्होंने समझाते हुए कहा कि व्हाटसएप पर आए किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल को ना उठाए व अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें। बताया कि जब कभी अनजाने में, अपने आप को साइबर क्राइम के शिकंजे में फंसे पाओ तो, सहायता के लिए अविलंब पुलिस थाने में सूचना देने के साथ ही नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने को कहा। इस मौके पर युवाओं ने उत्सुकता वस कई प्रश्नों के उत्तर चाहा, जिन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री त्रिपाठी ने प्रश्न करताओं के सवालों के उत्तर देते हुए, सभी की शंका दूर की। इस मौके पर एसएचओ नरेंद्रनगर गोपाल दत्त भट्ट ने साइबर ठगों की करतूतों के शिकार हुए अनेकों घटनाओं से सभी को अवगत कराते हुए कहा कि आज के दौर में साइबर क्राइम से बचने की बड़ी जरूरत है। एस एच ओ गोपाल दत्त भट्ट ने कहा कि ऑनलाइन बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत जहां लेन–देन की प्रक्रिया अत्यंत सरल हुई है,वहीं साइबर अपराधी, इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए जनता के साथ तरह–तरह के छल–कपट करते जा रहे हैं। कहा कि इन अपराधियों के धोखे से बचने के लिए यह अभियान कारगर सिद्ध होगा। श्री भट्ट ने भी प्रश्न कर्ताओं के उत्तर देते हुए, उनकी शंका का समाधान किया। पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रधानाचार्य दिनेश कंजोलिया ने कॉलेज व शिविर में प्रतिभा करने आए उपस्थित लोगों की ओर से मुख्य अतिथि सहित सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के जागरूकता वाले कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी व आम नागरिक साइबर क्राइम धंधों में लिप्त अपराधियों से अपने को बचाने में काफी हद तक सफल होंगे।

इस मौके पर पीएलवी उषा कैन्तुरा, सरिता कोठियाल, प्रशासनिक अधिकारी शकुंतला, प्रवक्ता अंग्रेजी रेनू डबराल, प्रगव रावत, जीवन सिंह, सुनील सैनी, आशुतोष, गायत्री फोनिया, प्रिया डंगवाल व सोनिका सहित बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र–छात्राएं व अन्य उपस्थित थे।

साइबर अपराधों को लेकर छात्राओं को किया जागरूक

शाह टाइम्स संवाददाता

रामनगर। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन में साईबर अपराध ऑनलाइन धोखाधड़ी और सोशल मीडिया घोटालों के सम्बन्ध में जनजागरुकता कार्यक्रम के तहत गुरुवार को एसआई ललित डंगवाल द्वारा जीपीपी इण्टर कालेज रामनगर में जाकर छात्राओं को साईबर अपराधों व ऑनलाइन धोखाधड़ी के सम्बन्ध में जागरुक किया।

उन्होंने बताया कि अपनी कोई निजी जानकारी ओटीपी या बैंक डिटेल आदि शेयर नहीं करनी है और किसी भी प्रकार के आनलाइन नौकरी, लाटरी आदि के लालच में ना पड़ें। जागरुक रहकर ही साईबर अपराध से हम बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त साईबर अपराध से सम्बन्धित कोई फ्रॉड होता है तो तत्काल प्रभाव से अपनी सूचना साईबर टोल फ्री नम्बर 1930 पर दर्ज कराएं, जिससे कि साईबर से सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके।

साइबर क्राइम के बारे में बताया

शाह टाइम्स संवाददाता

नैनीताल। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार जिले में संचालित विशेष साइबर अपराध जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल बीनू गुलयानी द्वारा अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कालेज में शिक्षिकाओं व छात्राओं के लिए आयोजित जागरूकता अभियान के दौरान साइबर अपराध के विषय पर जागरूक किया गया।

इस दौरान उन्हें विभिन्न प्रकार जैसे की आई टूल्स, लिंक्स, ओटीपी से हो रहे साइबर अपराध की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई तथा अपराध से बचने के लिए बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के संबंध में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकलाप, नि:शुल्क विधिक सहायता, लीगल एड क्लिनिक, महिलाओं के अधिकार तथा नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा हेल्पलाइन पोर्टल एलएसएमएस तथा एलएआईएस आदि विषयों पर जागरूक किया गया। कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा छात्राओं को विभिन्न प्रकार से घटित हो रहे साइबर अपराध से उदाहरण सहित अवगत कराया तथा इस अपराध से बचने के हेतु आवश्यक सावधानियों से जागरूक किया।

साइबर फ्रॉड से लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता

देहरादून(नगर संवाददाता)। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून प्रदीप पंत के निर्देश के अनुसार पराविधिक कार्यकर्ता उमेश्वर सिंह रावत द्वारा जनपद देहरादून के आईएएस विद्यालय, देहरादून, उत्तराखण्ड में साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया स्कैम विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां छात्र छात्राओं को प्रदान की गई।

इस अवसर पर जागरूकता शिविर का शुभारम्भ स्कूल के प्रधानाचार्य जगदीप खत्री द्वारा सचिव व वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून हर्ष यादव को पुष्प गुच्छदेकर किया गया। इस अवसर पर शिविर में हर्ष यादव, सचिव वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के गठन एवं कार्यों, संविधान में वर्णित विभिन्न प्रावधान, मोबाइल का दुरुपयोग, साईबर अपराधों आदि के सम्बंध में जानकारी दी गयी। इस अवसर पर उपस्थित सभी छात्र–छात्राओं को बताया गया कि आजकल बहुत ज्यादा साइबर फ्रॉड हो रहें हैं, और इसके लिए हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड के लिए अपरायी ईमेल, मैसेज या वेबसाइट बनाकर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बैंक कंपनी या व्यक्ति हैं। उन्होंने बताया कि लोग इनके झांसे में आकर अपनी जानकारी लीक कर देते हैं और धोखे के शिकार हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं, और कुछ उल्लेखनीय उदाहरण ईमेल धोखाधड़ी, सोशल मीडिया धोखाधड़ी, बैंकिंग धोखाधड़ी, रैंसमवेयर हमले, साइबर जासूसी, पहचान की चोरी, क्लिकजैकिंग और स्पायवेयर हैं।

उन्होंने बताया कि अगर आप ऑनलाइन के बजाय हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो 1930 पर कॉल कर सकते हैं, ये नेशनल साइबरक्राइम हेल्पलाइन नंबर है। उन्होंने बताया कि सही जानकारी होने पर कुछ लोगों के पैसे वापस मिल जाते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कुछ लोग सोशल मीडिया पर बदनाम होने से भी बच जाते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने साइबर क्राइम या फ्रॉड को शिकायत करने के लिए एक पोर्टल बनाया है जहां से आप किसी भी तरह के साइबर क्राइम की शिकायत कर सकते हैं। इस अवसर पर प्राविधिक कार्यकर्ता उमेश्वर सिंह रावत ने छात्र-छात्राओं का आह्वान किया है कि आजकल छात्रां साइबर क्राइम की विशेष रूप से शिकार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी को जागरूक रहने तथा सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस अवसर पर जागरूकता शिविर में कार्यक्रम के संयोजक मनीष सेमवाल तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपीपर जोशी, उमेश्वर सिंह रावत के साथ ही शिविर में छात्र एवं छात्रायें एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।